

GST Hindi update on revocation of GSTIN after Appeal/ High Court order.

इस अपडेट में हम आपको कर्नाटक जीएसटी विभाग द्वारा जारी किये गए Circular GST No 01/2022-23 दिनांक 02 जून, 2022 के बारे में जानकारी देंगे। इस circular के उन्होंने 90 दिनों के बाद भी GST रजिस्ट्रेशन का revocation कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी है। 90 दिनों के बाद revocation केवल Appellate Authority order/ High Court orders के माध्यम से ही कर सकते हैं इसका procedure उन्होंने अपने circular में समझाया है।

Section 29(2)(c) of CGST Act के अनुसार, GST officer किसी व्यक्ति, जिसने 6 महीने से अधिक समय का GST Return को फाइल नहीं किया है, उसका Registration रद्द कर सकता है, और वो किसी भी retrospective date या current date, उसे ठीक लगे, उस date से Registration रद्द कर सकता है,

वह Taxpayer जिसका रजिस्ट्रेशन GST officer द्वारा रद्द कर दिया गया है, वह उस रजिस्ट्रेशन को फॉर्म GST REG-21 द्वारा revocation के लिए ऑनलाइन GST Portal पर आवेदन कर सकता है।

Revocation के लिए आवेदन GST Registration Cancel होने के नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दाखिल करना आवश्यक है। परन्तु इसे कुछ condonation of delay के साथ में 60 दिन में Joint Commissioner को तथा 90 दिनों में कमिश्नर को apply कर सकता है। ऐसे टैक्सपेयर, जो इन 90 दिनों में भी Revocation के लिए आवेदन नहीं करते हैं, उनके लिए फिर Revocation के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में ऐसे taxpayers को Appellate Authority / High Court की शरण में ही जाना पड़ता है।

90 दिनों के बाद कैंसिल किये गए Registration को Appellate Authority order/ High Court orders द्वारा पुनः शुरू करने के लिए GST पोर्टल पर कोई electronic module नहीं है।

इस संदर्भ में इस अपडेट के लेखक का कहना है कि हमें भी इस बारे में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। SGST डिपार्टमेंट में Appellate authority ने ही follow up करके concerned circle से हमारे रजिस्ट्रेशन को पुनः शुरू करवा दिया था। परन्तु CGST डिपार्टमेंट में appellate authority की फैसले के बाद इसे दोबारा शुरू करवाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। पहले डिवीजन ऑफिस रेंज से वेरीफाई करता है कि इस पार्टी के कोई बकाया राशि तो नहीं है। उसके पश्चात वह कमिश्नर को लिखते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन को पुनः शुरू करने की इजाजत दी जाए। इसकी permission मिलने के पश्चात वह दिल्ली में इसको दोबारा शुरू करने के लिए लिखते हैं तथा यह रजिस्ट्रेशन वहां से फिर से शुरू किया जाता है। इस सब प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है।

अब 90 दिनों के बाद रद्द किए गए GSTIN के Revocation के लिए एक Module विकसित और परीक्षण किया गया है। जिसकी सहायता से Appellate Authority order/ High Court orders द्वारा पुनः GST Registration का Revocation किया जा सकता है।

इसके लिए taxpayer को Appellate Authority order/ High Court orders के साथ GST Office में लेटर देना होगा और GST अफसर GST Pro portal पर Registration Request> Approve Revocation Request> Revocation after Appeal / High Court Order पर जाकर रजिस्ट्रेशन को revoke कर सकते हैं। इसमें GST अफसर को Appellate Authority order/ High Court orders की PDF File को पोर्टल पर upload करनी होगी, और यह कार्यवाही GST अफसर के digital Signature से ही की जाएगी। यदि इस module में कोई शिकायत है, तो अधिकारियों को GST Pro पर शिकायत दर्ज करवानी होगी।

कर्नाटक डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया यह सर्कुलर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी सारे taxpayer जो की Appellate Authority order/ High Court orders के ऑर्डर्स आने के बाद भी रजिस्ट्रेशन को शुरू नहीं करवा पा रहे थे और जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है कि यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। परंतु अभी इस नई प्रक्रिया से अब taxpayer अपना रजिस्ट्रेशन पुनः शुरू करवा सकते हैं और taxpayer जल्दी से अपने आगे के रिटर्न भर कर अपना व्यापार चालू कर सकते हैं।